लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/एच/द्वि.क्रमों./64/2003/1945 भोपाल,दिनांक 4 /06/2010

प्रति,

1. समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :- शिक्षक संवर्ग को 24 वर्ष की सेवाकाल के आधार पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 19.04.99 से देने से संबंधी माननीय न्यायालय निर्णयों के पालन विषयक।

संदर्भ :- शासन का आदेश क्रमांक एफ 7-01/2007/बीस-4 भोपाल, दिनांक 28 मई 2010

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश द्वारा शिक्षक संवर्ग को 24 वर्ष की सेवाकाल के आधार पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 19.04.99 से देने के संबंध में आदेश पारित किये गये है। पारित निर्णयों के अनुपालन हेतु इसके संबंध में शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि "न्यायालयीन आदेशों का पालन इस शर्त के साथ कर दिया जाए कि उस आदेश का पुनरीक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद तथा पालिसी तय करके सब विसंगतियों को समाप्त किया जायेगा।"

जिला स्तरीय शिक्षक संवर्गीय लोकसेवकों के द्वितीय क्रमोन्नति से संबंधित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिये जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होगें एवं व्याख्याताओं के संबंध में क्रमोन्नति स्वीकृति के अधिकार शासन द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को पूर्व में प्रत्यायोजित किये जाने से व्याख्याताओं के द्वितीय क्रमोन्नति के प्रकरणों का निराकरण भी संयुक्त संचालक, संभागीय स्तर पर करना सुनिश्चित करें।

शासन आदेश के अनुक्रम में द्वितीय क्रमोन्नति से संबंधित अवमानना/न्यायालयीन प्रकरणों में निर्णय का पालन 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चत करें, तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यार्वतन प्रस्तुत कर प्रकरण समाप्त कराने की कार्यवाही करें एवं कृत कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करावें। विपरित स्थिति निर्मित होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न : शासन आदेश

आयुक्त 4/6/10
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

निरंतर...2..

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2010

क्रमांक एफ 7—01/2007/बीस—4 :: शिक्षक संवर्ग को 24 वर्ष के सेवाकाल के आधार पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 19—04—1999 से देने के संबध में विभिन्न मा. न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17—09—2009 को विधि विभाग के परामर्श अनुसार यह निर्देश दिए कि " न्यायालयीन आदेशों का पालन इस शर्त के साथ कर दिया जाए कि उस आदेश का पुनरीक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जा सकेगा और मा. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद तथा पालिसी तय करके सब विसंगतियों को समाप्त किया जायेगा।"

2— इस संबध में दिनांक 19—05—2010 को मंत्रि—परिषद् बैठक में यह निर्णय लिया गया कि " शिक्षक सवर्ग को भी 24 वर्ष के सेवाकाल के आधार पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 19—04—1999 से देने संबधी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 17—09—2009 का अनुसमर्थन किया जाए।"

2— अतः राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 23—09—2009 द्वारा गठित की गई समिति की अब आवश्यकता न होने के कारण यह समिति तत्काल प्रभाव से भंग की जाती है तथा इस संबध में आगामी कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण को अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गीता मिश्रा)
अपर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां0 क्रमांक एफ 7—01/2007/बीस—4 भोपाल, दिनांक 28 मई, 2010

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त

2....

विभाग/विधि एवं विधायी कार्य विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

3. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण /राज्य शिक्षा केन्द्र ,मध्यप्रदेश भोपाल।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संयुक्त संचालक, (विधि प्रकोष्ठ) जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
9 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समिति के अध्यक्ष/समस्त सदस्यगण, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग कक्ष 1, 2, 3, मंत्रालय भोपाल।
14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्कूल शिक्षा, विधि प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
15. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28.5.10

अपर सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग